प0 सं0/ 1343/2018–19/एडी0कमि0 (जी0एस0टी0)/वाणिज्य कर मुख्यालय।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 कैम्प)
लखनऊ :: दिनांक :: 26 :: मार्च, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **जी0एस0टी0 के अन्तर्गत विधिक बिन्दुओं के निराकरण के सम्बन्ध में।**

जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अधिनियम एवं नियमावली में आवश्यक संशोधनों तथा विभिन्न अन्य विधिक बिन्दुओं पर विचार–विमार्श हेतु लॉ कमेटी का गठन किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ–साथ कुछ राज्यों के कमिश्नर, वाणिज्य कर भी सदस्य हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लॉ कमेटी के सदस्य के रूप में कमेटी की बैठकों में प्रतिभाग किया जाता है। लॉ कमेटी की बैठकों में विभिन्न राज्यों द्वारा जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण अथवा अधिनियम एवं नियमावली को तर्कसंगत बनाने हेतु परिवर्तनों का सुझाव या कानून की व्याख्या से सम्बन्धित बिन्दु लॉ कमेटी को संदर्भित किये जाते हैं एवं लॉ कमेटी द्वारा इन विषयों पर विस्तृत विचार विमार्श कर अपेक्षित स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किये जाते हैं अथवा नियमावली/अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव काउंसिल या काउंसिल द्वारा गठित इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर संशोधन की कार्यवाही की जाती है।

आवश्यक है कि प्रदेश स्तर पर भी जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों अथवा अधिनियम व नियमावली को और अधिक तर्कसंगत बनाने हेतु संशोधन के सुझाव या अधिनियम व नियमावली की व्याख्या से सम्बन्धित बिन्दु लॉ कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायें जिससे कि इन पर लॉ कमेटी में विस्तृत विचार विमर्श करते हुए पूरे देश में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु वांछित आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायी जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों द्वारा संज्ञान में लाये गये ऐसे मामलों के सम्बन्ध में विस्तृत नोट दिनांक 2 अप्रैल, 2019 तक मुख्यालय के जी0एस0टी0 अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि ऐसे विषयों को काउंसिल द्वारा गठित लॉ कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0 संख्या दिनांक व विषयक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्यालय पर कार्यरत समस्त एडीशनल कमिश्नर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी यदि कोई ऐसा मामला हो तो उससे सम्बन्धित संक्षिप्त नोट जी0एस0टी0 अनुभाग को दिनांक 2 अप्रैल, 2019 तक उपलब्ध करा दें।

2. मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों/ज्वाइन्ट कमिश्नर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि इस प्रकार का कोई मामला उनके स्वयं के संज्ञान में हो अथवा अनुभाग में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो उसके सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी जी0एस0टी0 अनुभाग को दिनांक 2 अप्रैल, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।